**UPSI180002562009**

# न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), महमूदाबाद-सीतापुर।

**प्रकीर्ण फौ० वाद संख्या-834/ 2009**

**जसीमुन अजमल बनाम अंजन कुमार।**

**दिनांकः-16.03.2026**

पत्रावली पेश हुई। पुकारी करायी गयी। पुकार पर परिवादी, अभियुक्त अंजन कुमार सिंह व तामीलाकर्ता उ०नि० दुर्गेश बाबू थाना चिनहट, लखनऊ गैर हाजिर। पत्रावली वास्ते बयान तामीलाकर्ता नियत है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त पत्रावली धारा-138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित है तथा सन् 2009 से इस न्यायालय में लम्बित है। **उक्त पत्रावली के शीघ्र निस्तारण हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा हाल ही में कड़े निर्देश दिये गये हैं।** पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय के आदेश दिनांकित-08.09.2025 द्वारा अभियुक्त अंजन कुमार सिंह को फरार घोषित करते हुए एवं उसके मिलने की कोई सम्भावना न होने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध कार्यावाही अन्तर्गत धारा-335भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अग्रसारित की गयी थी, तब से पत्रावली वास्ते बयान संबंधित तामीलाकर्ता नियत चली आ रही है। उल्लेखनीय है कि उक्त पत्रावली में न तो परिवादी हाजिर हो रहा है तथा न ही संबंधित थाना द्वारा तामीलाकर्ता को न्यायालय में बयान हेतु पेश किया जा रहा है। न्यायालय द्वारा संबंधित तामीलाकर्ता की हाजिरी हेतु कई बार आदेशिकाएं जारी की गयीं तथा उक्त आदेशिकाओं के तामीला हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया, परन्तु संबंधित थाने द्वारा लापरवाही से तथा न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से सरसरी तौर पर तामीला रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल की जा रही हैं। न्यायालय द्वारा जारी NBW एवं नोटिस अन्तर्गत धारा-350 दण्ड प्रक्रिया संहिता की आदेशिका पर हे०का० मुंशी शहनवाज खान द्वारा विधि विरुद्ध आख्या प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि, *"उक्त वारण्ट का तामीला जरिये कार्यालय कराया गया व निर्देशित किया गया कि दिनांक-16.03.2026 को साक्षी को मा० न्यायालय के समक्ष उपस्थित करायें।"* संबंधित थाने द्वारा प्रेषित उक्त आख्या अत्यन्त आपत्तिजनक एवं विधि विरुद्ध है।

थानाध्यक्ष महमूदाबाद अनिल सिंह, जोकि स्वयं न्यायालय में उपस्थित हैं, को उक्त के संबंध में अवगत कराया गया। उनके द्वारा उनके थाने से प्रेषित रिपोर्ट पर क्षमा याचित करते हुए एक अवसर और दिये जाने की याचना की गयी तथा न्यायालय को यह आश्वासन दिया गया कि वह तामीलाकर्ता उ०नि० दुर्गेश बाबू के विरुद्ध जारी अग्रिम आदेशिका का अनुपालन स्वयं सुनिश्चित करायेंगे। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए एवं थानाध्यक्ष द्वारा आश्वासन दिये जाने के कारण उ०नि० दुर्गेश बाबू थाना चिनहट, लखनऊ के विरुद्ध पुनः NBW व धारा-350 दण्ड प्रक्रिया संहिता की नोटिस जारी की जाती है। परिवादी को उपस्थिति हेतु एक अंतिम अवसर दिया जाता है तथा यह आदेशित किया जाता है कि यदि वह अभियुक्त की अनुपस्थिति में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है, तो कर सकता है।पत्रावली वास्ते बयान संबंधित तामीलाकर्ता दिनांक-27.03.2026 को पेश हो।

( रोहित पुरी )
सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।
**J.O.Code-UP3474**

Digitally signed by ROHIT PURI
Date: 2026.03.16 17:28:15 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D)/J.M.
Mahmoodabad, Sitapur.